राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 27/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/46
दायर दिनांक– 23.03.2022
निर्णय दिनांक– 12.07.2023

1. रामेदव पुत्र रूपा जाति जाट, निवासी ग्राम मोरडी, तहसील रूपनगढ़

....वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128,रा0–भू–राज0 अधि0 1956 व धारा–188 रा0काअधि0 1955

उपस्थिति–:1. श्री अरविन्द कुमार दाधीच, अधि0 वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ग्राम मोरडी, पटवार हल्का मोरडी, भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 187 के ख0न0 74 रकबा 0.4611 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त खातेदारी की भूमि वादी के नाम एकल खातेदारी में सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज है। ख0न0 74 की भूमि की पैमाईश नहीं हो रखी है तथा मौके पर वादी की भूमि कम है। इसलिए जब तक वादी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी न हो तब तक प्रतिवादी के द्वारा मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का रदौबदल नही किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। मौके पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की वर्णित कृषि आराजी की अन्य खसरा नम्बरान से लगती हुई भूमि पर पडौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी पैरोकार सरकार (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:58:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी 12.7.22
रूपनगढ़ (अजमेर)

वकील वादी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान मूल वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–188 का अनुतोष नहीं चाहा इसलिए मूल वाद से धारा–188 हटाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की व प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोरडी के खाता संख्या 187 के ख0न0 74 रकबा 0.4611 है0 भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है।

इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

12.7.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:58:30 IST
Reason: SelfAttested